न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, दूदू, जिला जयपुर

सरकार बनाम ईश्वर

मुकदमा नम्बर ..... सीआईएस नम्बर 2200/2026

चालान संख्या 0982091 दिनांक 05.06.2026

06.06.2026

अभियोजन अधिकारी ने पुलिस थाना मौखमपुरा की ओर से अभियुक्त **ईश्वर** के विरुद्ध चालान अन्तर्गत धारा 185/207 एम.वी. एक्ट में पेश हुआ। कार्यालय रिपोर्ट ली गयी। अवलोकन किया गया। उपरोक्त धारा में अपराध घ ाटित होना पाये जाने पर अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त धारा में प्रसंज्ञान लिया जाता है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावें।

अभियुक्त मय अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्त की ओर से वकील श्री बृजमोहन बोहरा ने वकालतनामा पेश किया, शामिल रहे। चालान की नकल दिलाई गई। अभियुक्त को उस पर आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 185/207 एम.वी. एक्ट का आरोप मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने स्वेच्छयापूर्वक जुर्म स्वीकार करते हुए प्रकरण का आज ही निर्णय करने का निवेदन किया। अभियोजन अधिकारी ने इस स्तर पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहा। सुना गया। पत्रावली का परिशीलन किया गया। अभियुक्त को उसके द्वारा प्रस्तुत अपराध जुर्म स्वीकारोक्ति के प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियुक्त को धारा 185/207 एम.वी. एक्ट के अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

सजा के प्रश्न पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त ने स्वेच्छया जुर्म स्वीकार किया है। अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि की कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है, पूर्व में किसी भी अदालत ने मुलजिम को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ नहीं दिया है इस संबंध व वह पृथक से शपथ पत्र पेश कर रहा है। अतः नरमी का रूख अपनाया जावे।

सुना गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में दोषसिद्धि की कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। अतः अभियुक्त के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए प्रकरण के तथ्य, परिस्थिति में परिवीक्षा का लाभ दिया जातना उचित प्रतीत होता है। अतः अभियुक्त को धारा धारा 185/207 एम.वी. एक्ट के अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर धारा 3 परिवीक्षा अधिनियम के तहत प्रताडित किया जाकर आदेश दिया जाता है

अतः अभियुक्त की ओर से परीविक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत 3000/– रूपये बतौर अभियोजन व्यय न्यायालय में जमा करवाए।

आदेशानुसार अभियुक्त द्वारा अभियोजन व्यय की राशि 3000/– रूपये जरिये रसीद संख्या 0124694355 दिनांक 06.06.2026 से जमा की गयी। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन संख्या एचआर–38–एक्स–1086 की अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता नहीं हो तो उक्त प्रकरण में मुलजिम को सुपुर्द की जावे। रिहाई तहरीर जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट
दूदू, जिला जयपुर